

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/19/109

दिनांक: 10.06.2019

:: कार्यालय आदेश ::


समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मध्यनजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सैवशन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष सभी संकायों में वर्तमान सीटों की संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् श्रेणीवार सीटों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से रहेंगी—

संकाय/वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	EWS
कला/वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।



प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 10.06.2019

क्रमांक:एफ.7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/19/109

प्रतिलिपि—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, सम्बद्ध विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर